

प्रारूप-२
भाग-१ (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :- माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि

और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत।

रु0 207.20 लाख

एक मात्र नजदीकी समरेखन।

लागू नहीं

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)

स्थानीय जनता अपनी कृषि उपज स्थानीय बाजार में आवाक कर पायेगी।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

संलग्न है।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या

नहीं।

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

नहीं।

ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

नहीं।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं)

हाँ।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)

प्रमाण पत्र संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्योरा।

संलग्नानुसार।

दिनांक.....

स्थान.....

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि�०वि०
पिथौरागढ़।



अधिकारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि�०वि०
पिथौरागढ़।